भारत सरकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

ट्रॉबे, मुंबई 400085, महाराष्ट्र

"सरकार कार्यबल में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है और इसलिए महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

विज्ञापन संख्या 01/2026 (भर्ती-IV)

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	30/01/2026 (10:00 बजे)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	27/02/2026 (23:59 बजे)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई; विकिरण औषधि केंद्र (RMC), मुंबई और विकिरण औषधि अनुसंधान केंद्र (RMRC), कोलकाता में सीधी भर्ती के माध्यम से निम्नवत ग्रुप 'ए' (चिकित्सा) पदों को भरे जाने हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

1. पदों का विवरण :

पद कूटांक	पद/विषय का नाम	रिक्तियों की संख्या			शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
		अ.जा.	अना.	कुल	
इकाई का नाम : भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.), मुंबई					
DR/01	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (कार्डियोलॉजिस्ट)	0	2	2	अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद 2 वर्षों के अनुभव के साथ एम.बी.बी.एस.+ एम.डी. (जनरल मेडिसिन) + डीएम (कार्डियोलॉजी) या अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद 2 वर्षों के अनुभव के साथ एम.बी.बी.एस. + डी.एन.बी. (जनरल मेडिसिन) + डी.एन.बी. (कार्डियोलॉजी)
DR/02	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (अस्पताल प्रशासक) अथवा वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	0	1	1	**वैज्ञानिक अधिकारी-ई (अस्पताल प्रशासक)** i. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अस्पताल प्रशासन/अस्पताल प्रबंधन/अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का होना चाहिए) iii. पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा अर्जित करने के बाद 8 वर्षों का अनुभव होना चाहिए कुल अनुभव में से, न्यूनतम 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में अस्पताल प्रशासक के रूप में तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। **वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)** i. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अस्पताल प्रशासन/अस्पताल प्रबंधन/अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का होना चाहिए) iii. पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा अर्जित करने के बाद 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए कुल अनुभव में से, कम से कम 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में अस्पताल प्रशासक के रूप में दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

पद कूटांक	पद/विषय का नाम	रिक्तियों की संख्या			शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
		अ.जा.	अना.	कुल	
DR/03	वैज्ञानिक अधिकारी-डी ओटरहिनोलैरिंगोलॉजी (ई.एन.टी.)	0	1	1	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. (ई.एन.टी.)/एम.डी. (ई.एन.टी.)/डी.एन.बी. (ई.एन.टी.)
DR/04	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोडायग्नोसिस/रेडियोलॉजी)	0	3	3	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (रेडियो-डायग्नोसिस) अथवा डी.एन.बी. (रेडियो-डायग्नोसिस) **अथवा** i. एम.बी.बी.एस. और ii.रेडियो-डायग्नोसिस / रेडियोलॉजी में पीजी डिप्लोमा और iii. पीजी डिप्लोमा के बाद 3 वर्षों का अनुभव
DR/05	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ऑप्थलमोलॉजी)	0	1	1	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएस (ऑप्थलमोलॉजी) या डी.एन.बी. (ऑप्थलमोलॉजी)
DR/06	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पैथोलॉजी)	0	1	1	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (पैथोलॉजी) या डी.एन.बी. (पैथोलॉजी)
DR/07	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (एनेस्थीसियोलॉजी)	0	1	1	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (एनेस्थीसिया) या डी.एन.बी. (एनेस्थीसिया)
DR/08	वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	1	4 (पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 पद आरक्षित)	5	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. के साथ एक वर्ष का संस्थागत अनुभव
	TOTAL	**1**	**14**	**15**	
इकाई का नाम : विकिरण औषधि केंद्र (आरएमसी), मुंबई					
DR/09	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि)	0	1	1	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (नाभिकीय औषधि) या डी.एन.बी. (नाभिकीय औषधि) **अथवा** i. एम.बी.बी.एस. ; और ii. नाभिकीय औषधि में पीजी डिप्लोमा; और iii. पीजी डिप्लोमा के बाद 3 वर्षों का अनुभव
DR/10	तकनीकी अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी)	0	1	1	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम. एससी. + न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चिकित्सा रेडियो-आइसोटोप तकनीक में डिप्लोमा (डीएमआरआईटी)/नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएनएमटी)/फ्यूजन प्रतिबिंबन प्रौद्योगिकी (डीएफआईटी) में डिप्लोमा **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी में 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एस.सी. **वांछित अनुभव** i. 04 (चार) वर्षों का अनुभव ii. पीईटी/सीटी स्कैनर और जीएएमएमए कैमरा/ एसपीईसीटी/ सीटी.प्रणाली वाले पूर्ण नाभिकीय औषध केंद्र में अनुभव को वरियता दी जाएगी।
	TOTAL	**0**	**2**	**2**	

इकाई का नाम : विकिरण औषधि अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी), कोलकाता					
पद कूटांक	पद/विषय का नाम	रिक्तियों की संख्या			शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
		अ.जा.	अना.	कुल	
DR/11	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय औषधि)	0	1	1	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी.(नाभिकीय औषधि) या डी.एन.बी. (नाभिकीय औषधि), साथ ही निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद 4 वर्षों का अनुभव।
DR/12	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि)	0	2	2	एम.बी.बी.एस. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (नाभिकीय औषधि) या डी.एन.बी. (नाभिकीय औषधि) **अथवा** i. एम.बी.बी.एस. ; और ii. नाभिकीय औषधि में पीजी डिप्लोमा; और iii. पीजी डिप्लोमा के बाद 3 वर्षों का अनुभव
DR/13	तकनीकी अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी)	0	1	1	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम. एससी. + न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चिकित्सा रेडियो-आइसोटोप तकनीक में डिप्लोमा (डीएमआरआईटी)/नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएनएमटी)/फ्यूज़न इमेजिंग प्रौद्योगिकी (डीएफआईटी) में डिप्लोमा **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी में 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एस.सी. **वांछित अनुभव** i. 04 (चार) वर्षों का अनुभव ii. पी.ई.टी./सी.टी. स्कैनर और जीएएमएमए कैमरा/ एस.पी.ई.सी.टी./ सी.टी. प्रणाली वाले पूर्ण नाभिकीय औषध केंद्र में अनुभव को वरियता दी जाएगी।
	कुल	**0**	**4**	**4**	
	कुल योग	**1**	**20**	**21**	

संक्षेपाक्षरः अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनारक्षित (अना.) और बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

नोटः अनिवार्य संस्थागत अनुभव की गणना अनुभव के रूप में नहीं होगी।

बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित विषय

पद कूटांक	पद/विषय का नाम	निःशक्तता का प्रकार	रिक्ति की संख्या
DR/08	वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	चलने में निःशक्तता – एक पैर (एलडी-ओएल) चलने में निःशक्तता-एक बाँह (एलडी-ओए) श्रवण बाधित (पीडी-एचएच)	1

नोटः

चलने में निःशक्तता (एलडी-ओएल) (एलडी-ओए) : शारीरिक निःशक्तता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

श्रवण बाधित (एचएच) : दोनों कानों में सुनने की आवृत्ति में 60 dB से 70 dB श्रवण हानि वाले व्यक्ति।

शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकता –

i) आरक्षण के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम डिग्री/प्रतिशत : 40%

ii) केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उप-धारा(1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कम से कम तीन सदस्यों का मोडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा जिसमें से एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।

(iii) जिनकी दिव्यांगगता अस्थायी है, उनके लिए यह प्रमाण-पत्र 5 साल की अवधि तक ही वैध होगा। जहां दिव्यांगता की डिग्री में भिन्नता की संभावना हो, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि को इंगित करना होगा। वे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता स्थाई है, उनके प्रमाण-पत्र की वैधता को स्थायी रूप में दिखाया जा सकता है। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

2. <u>आयु सीमा और परिलब्धियां :</u>

ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज उसी जन्म तिथि को इस केंद्र द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में इसके परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा या न ही मंजूरी दी जाएगी।

पद क्रमांक	पद / विषय का नाम	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	प्रारंभिक वेतन* (₹ में)	न्यूनतम आयु	अधिकत्तम आयु (आवंदन की अंतिम तिथि के अनुसार)
DR/01	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (कार्डियोलॉजिस्ट)	12	78800 + एनपीए	18	50
DR/02	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (अस्पताल प्रशासक) अथवा वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	12 11	78800 + एनपीए 67700 + एनपीए	18	50 40
DR/03	वैज्ञानिक अधिकारी-डी ओटरहिनोलैरिंगोलॉजी (ई.एन.टी.)	11	67700 + एनपीए	18	40
DR/04	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोडायग्नोसिस/रेडियोलॉजी)	11	67700 + एनपीए	18	40
DR/05	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ऑप्थलमोलॉजी)	11	67700 + एनपीए	18	40
DR/06	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पैथोलॉजी)	11	67700 + एनपीए	18	40
DR/07	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (एनेस्थीसियोलॉजी)	11	67700 + एनपीए	18	40
DR/08	वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	10	56100 + एनपीए	18	35
DR/09& DR/12	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि)	11	67700 + एनपीए	18	40
DR/10 & DR/13	तकनीकी अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी)	11	67700	18	40
DR/11	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय औषधि)	12	78800 + एनपीए	18	50

एनपीए-नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता

<u>अतिरिक्त लाभ:</u>
नियमों के तहत यथास्वीकार्य सामान्य वेतन और भत्तों के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित हेतु भी हकदार हैं–

- पऊवि की मेरिट प्रोमोशन योजना के अंतर्गत आने वाले तकनीकी/वैज्ञानिक उच्चतर ग्रेडों हेतु पदोन्नति के अवसर।
- स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख।
- आकर्षक कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन।
- आकर्षक व्यावसायिक उन्नयन भत्ता।
- भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विभागीय आवास।

<u>ऊपरी आयु सीमा में छूट :</u>

- उन पदों के लिए जहाँ आरक्षण नहीं है उनमें ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट लागू नहीं होगी । एससी/पीडब्ल्यूबीडी के मामले में, आरक्षण केवल तभी लागू होता है जब उस श्रेणी के लिए रिक्ति आरक्षित हो।
- अनुसूचित जाति से संबंधित और पद कूटांक डी.आर./08 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, जोकि इस श्रेणी के लिए आरक्षित है, ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे।
- नियमित केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने उसी लाइन या संबद्ध संवर्ग में पदों पर कार्य करते हुए कम से कम तीन वर्ष की निरंतर सेवा की है ,उन्हें सरकारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
- विधवा, तलाकशुदा और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई ऐसी महिलाएँ जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, वे सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।
- पद कूटांक डी. आर./08 के लिए शारीरिक रूप से निःशक्त अनारक्षित अभ्यर्थी को पांच वर्ष तक की आयु छूट दी जाएगी।
- 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चों/परिवार के सदस्यों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी। यदि अभ्यर्थी इस संबंध में आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आशय का प्रमाण कि वह व्यक्ति 1984 के दंगों से प्रभावित हुआ है।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी आदेश के अनुसार आयु में छूट होगी।
- मेधावी खिलाड़ी सरकारी आदेश के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे।

- उन सभी व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी जो व्यक्ति मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीज़न में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान अधिवासित रहे थे, बशर्ते कि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट सुसंगत नियमों के तहत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अधीन होगी।
- आवासीय साक्ष्य का प्रमाण-पत्र - कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत स्वीकार्य आयु सीमा में इस छूट का लाभ पाना चाहता है, उसे डीओपीटी अधिसूचना दिनांकित 09 फरवरी 2018 के अनुसार स्वीकार्य आयु सीमा की इस छूट का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:
  क) कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके अधिकार क्षेत्र में वे मूल रूप से रहते थे; अथवा
  ख) कोई अन्य प्राधिकारी जिसे जम्मू व कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उससे इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाए कि वे जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान मूल रूप से अधिवासित थे।

3. कर्तव्य की प्रकृति

पद कूट, पद और विषय	**कर्तव्य की प्रकृति[5]**
DR/01 वैज्ञानिक अधिकारी-ई (कार्डियोलॉजिस्ट)	1. भापअ केंद्र अस्पताल की कार्डियक कैथीटेराइज़ेशन प्रयोगशाला में कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, स्थायी पेसमेकर प्रत्यारोपण, एआईसीडी प्रत्यारोपण, बैलून वॉल्वुलोटोमी आदि जैसी विभिन्न हृदय रोग संबंधी प्रक्रियाएं करना। 2. वार्डों में भर्ती और बाह्य रूग्ण विभाग में आए हृदय रोगियों की चिकित्सीय देखभाल करना। 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्य।
DR/02 वैज्ञानिक अधिकारी-ई (अस्पताल प्रशासक) **या** वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	1. अस्पताल सहायता सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। 2. अस्पताल, ज़ोनल औषधालयों, बीएमसी और अन्य संबंधित एजेंसियों की विभिन्न अंगों, शाखाओं और इकाइयों के साथ समन्वय और संपर्क कार्य। 3. दैनिक रोगी देखभाल सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं के प्रापण और आयुर्विज्ञान प्रभाग की विभिन्न परियोजनाओं में समन्वय के लिए मांग पत्र जारी करना। आयुर्विज्ञान प्रभाग की विभिन्न समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना। 4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्य।
DR/03 वैज्ञानिक अधिकारी-डी ओटरहिनोलैरिंगोलॉजी (ई.एन.टी.)	1. ई.एन.टी. ओपीडी, ओटी, वार्ड में भर्ती रोगियों और आपातकालीन मामलों को संभालना। 2. ई.एन.टी. सर्जरी और प्रक्रियाओं को दोनों नेमी रूप से और आपातकाल के समय निष्पादित करना। 3. डी.एन.बी. छात्रों को दोनों व्यावहारिक और औपचारिक क्लास रूम शिक्षण प्रदान करना। 4. थीसिस कार्य में सह-मार्गदर्शक के रूप में सहायता करना। 5. चिकित्सा उपकरणों का उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उपकरणों के प्रापण में सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर बैठकों में भाग लेना आदि। 6. मूलभूत नैदानिक अनुसंधान करना। 7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य ।
DR/04 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोडायग्नोसिस/रेडियोलॉजी)	1. सीटी और एमआरआई स्कैनिंग करने के साथ रिपोर्ट तैयार करने और प्रहस्तन का निष्पादन करना। 2. बायोप्सी और सीटी निर्देशित इंटरवेंशनल प्रक्रियाएँ करना। 3. सोनोग्राफी और एक्स-रे जैसी चिकित्सा प्रतिबिंबो का विश्लेषण और व्याख्या करना। 4. चिकित्सा उपकरणों का उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उपकरणों के प्रापण में सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर बैठकों में भाग लेना आदि। 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
DR/05 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ऑप्थलमोलॉजी)	1. नेत्र रोग ओपीडी, ओटी, वार्ड में भर्ती रोगियों और आपातकालीन मामलों को संभालना। नेत्र रोग सर्जरी और प्रक्रियाओं को दोनों नेमी रूप से और आपातकाल के समय निष्पादित करना। 2. डी.एन.बी. के छात्रों को व्यावहारिक और औपचारिक कक्षा शिक्षण दोनों माध्यम से पढ़ाना। शोध प्रबंध में सहायता के लिए सह-मार्गदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। 3. चिकित्सा उपकरणों का उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उपकरणों के प्रापण में सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर बैठकों में भाग लेना आदि। 4. मूलभूत क्लीनिकल अनुसंधान कार्य करना। 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
DR/06 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पैथोलॉजी)	1. रोगियों की पैथोलॉजी नैदानिक आवश्यकताओं को पूरा करना और आपात स्थितियों के लिए संपर्क में रहना। 2. डी.एन.बी. के छात्रों को व्यावहारिक और औपचारिक कक्षा शिक्षण दोनों माध्यम से पढ़ाना। शोध प्रबंध में सहायता के लिए सह-मार्गदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। 3. चिकित्सा उपकरणों का उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उपकरणों के प्रापण में सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर बैठकों में भाग लेना आदि। 4. मूलभूत क्लीनिकल अनुसंधान कार्य करना। 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

DR/07 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (एनेस्थीसियोलॉजी)	1. ओपीडी में रोगियों की देखभाल करना और शल्यक्रिया कक्ष में निर्धारित शल्यक्रिया प्रक्रियाओं को संभालना और आपात स्थितियों के लिए संपर्क में रहना। 2. डी.एन.बी. के छात्रों को व्यावहारिक और औपचारिक कक्षा शिक्षण दोनों माध्यम से पढ़ाना। शोध प्रबंध में सहायता के लिए सहमार्गदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना।- 3. चिकित्सा उपकरणों का उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उपकरणों के प्रापण में सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर बैठकों में भाग लेना आदि। 4. मूलभूत क्लीनिकल अनुसंधान कार्य करना। 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
DR/08 वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	1. ओपीडी में रोगियों की देखभाल करना। सभी आयु वर्ग के रोगियों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, बीमारियों का निदान करना और उपचार देना और चिकित्सा आपात स्थितियों में संपर्क में रहना। नियमित बीमारियों, मधुमेह मेलिटस, उच्च रक्तचाप, इस्केमिक हृदय रोग, तपेदिक, मिर्गी आदि जैसे पुराने मामलों को देखना। दीर्घकालिक बीमारियों वाले रोगियों की नियमित निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल को सूचित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई। 2. औषधालय और/या दुर्घटना में आपात स्थितियों का प्रबंधन। 3. ऑनलाइन अस्पताल सूचना प्रणाली में रोगी रिकॉर्ड बनाना/बनाए रखना यथा, सामान्य मामलों के नोट, निदान, ऑनलाइन परमार्श इत्यादि। 4. वेल बेबी क्लीनिक, प्रसवपूर्व क्लीनिक, स्क्रीनिंग कार्यक्रम और शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी जैसे निवारक क्लीनिकों का संचालन करना। संयंत्र स्थल पर व्यावसायिक आयुर्विज्ञान चिकित्सक के कर्तव्यों का पालन करना और भापअ केंद्र के सभी कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच करना। 5. आपात विभाग में कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी कार्य करना होगा, जब-जब तैनात किया जाता हो। 6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
DR/09 & DR/12 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि)	1. क्लीनिकल नाभिकीय चिकित्सा सेवाएं: (i) थायरॉइड रोगों के प्रबंधन सहित पारंपरिक नैदानिक एवं उपचारात्मक नाभिकीय चिकित्सा प्रक्रियाएं। (ii) PET-CT और SPECT/SPECT-CT जैसे इन-विवो नाभिकीय चिकित्सा स्कैन के लिए परामर्श देना, पर्यवेक्षण करना तथा रिपोर्ट तैयार करना। (iii) रेडियोन्यूक्लाइड उपचार: नाभिकीय औषधि चिकित्सक के रूप में, उन्हें नियमित रेडियोन्यूक्लाइड उपचारों से भली-भांति परिचित होना चाहिए। 2. अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान : चयनित अधिकारी को विभाग के वर्तमान में जारी अनुसंधान गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और उन्हें केंद्र के अध्यापन और प्रशिक्षण गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा।
DR/10& DR/13 तकनीकी अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी)	1. एक नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्, नाभिकीय चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के कर्तव्यों का अनुपालन करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी और केंद्र में किए गए विभिन्न शोध अध्ययनों में भागीदारी। 2. वे नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी के एक पर्यवेक्षी के रूप में भूमिका निभाएंगे और वे SPECT गामा कैमरों, PET-CT स्कैनरों का संचालन करेंगे तथा इमेजिंग उपकरण की गुणवत्ता आश्वासन का परीक्षण करेंगे। 3. वे, शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्याख्यान देकर शिक्षण कार्य करने, प्रशिक्षुओं के पर्यवेक्षण और प्रदर्शन/प्रयोग आयोजित करने में शामिल होंगे। 4. उन्हें रोगियों के विभिन्न समूहों पर विभागीय रूप से अनुमोदित शोध अध्ययन करने के अवसर प्राप्त होंगे ताकि बेहतर निदान और रोगी की थ्रूपुट बढ़ाने हेतु तकनीकों में सुधार किया जा सके।
DR/11 वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय औषधि)	1. क्लीनिकल नाभिकीय चिकित्सा सेवाएँ: (i) थायरॉइड रोगों के प्रबंधन सहित पारंपरिक नैदानिक एवं उपचारात्मक नाभिकीय चिकित्सा प्रक्रियाएं। (ii) PET-CT और SPECT/SPECT-CT जैसे इन-विवो नाभिकीय चिकित्सा स्कैन के लिए परामर्श देना, पर्यवेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना। (iii) रेडियोन्यूक्लाइड उपचार: नाभिकीय चिकित्सा चिकित्सक के रूप में, उन्हें नियमित रेडियोन्यूक्लाइड उपचारों से भली-भांति परिचित होना चाहिए। 2. अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान: चयनित अधिकारी को विभाग के वर्तमान में जारी अनुसंधान गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और उन्हें केंद्र के अध्यापन और प्रशिक्षण गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा।

*उपरोक्त पदों पर कार्य करने वालों के कर्तव्यों के स्वरूप में दिनरात की पालियों में कार्य करना शामिल है।

4. चयन प्रक्रिया

DR/01 वैज्ञानिक अधिकारी-ई (कार्डियोलॉजिस्ट)	व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, यह अनुसंधान केंद्र पात्र अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग आयोजित करके साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।
DR/02 वैज्ञानिक अधिकारी-ई (अस्पताल प्रशासक) **या** वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	
DR/03 वैज्ञानिक अधिकारी-डी ओटरहिनोलैरिंगोलॉजी (ई.एन.टी.)	
DR/04 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोडायग्नोसिस/रेडियोलॉजी)	
DR/05 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ऑप्थलमोलॉजी)	
DR/06वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पैथोलॉजी)	
DR/07 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (एनेस्थीसियोलॉजी)	
DR/08 वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	
DR/09 & DR/12 वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि)	
DR/10& DR/13 तकनीकी अधिकारी-डी (नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकी)	
DR/11 वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय औषधि)	

5. सामान्य शर्तें:	
a)	**आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे**
b)	विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, कृपया वेबसाइट http://www.barc.gov.in या https://recruit.barc.gov.in पर जाएँ । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि हमारी वेबसाइट https://recruit.barc.gov.in के होम पेज पर 'Job Application →How to Apply' लिंक पर क्लिक करके दिए गए निर्देशों को पढ़ें।
c)	ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 30/01/2026 से 27/02/2026 तक खुली रहेगी।
d)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना आवश्यक है (इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) और उन्हें अपनी जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता (प्रमाण-पत्र और अंकपत्र), जाति, अनुभव प्रमाण-पत्र आदि के समर्थन में मूल दस्तावेज़ों सहित सत्यापित प्रतियों (स्वयं द्वारा साक्ष्यांकित) को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। **बिना किसी समर्थित दस्तावेज़ों के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
e)	अंतिम चयन **साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा।**
f)	प्रतीक्षा सूची के संचालन की वैधता चयन पैनल के तैयार होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी।
g)	उपरोक्त पदों पर कार्य करने वालों के कर्तव्यों के स्वरूप में दिनरात की पालियों में कार्य करना शामिल है।
h)	चयनित उम्मीदवार, उनकी नियुक्ति होने पर सरकारी आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के द्वारा शासित होंगे।
i)	चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभ में मुंबई/कोलकाता में तैनात किया जाएगा। वे भारत में स्थित बीएआरसी की किसी भी इकाई में और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में तैनात होने के लिए उत्तरदायी हैं।
j)	बाहरी स्टेशन से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अ. जा. और अ. ज. उम्मीदवारों को नियमानुसार द्वितीय श्रेणी (स्लीपर) के रेल किराए के अनुसार आने-जाने का यात्रा भत्ता या वास्तविक किराया (टिकट प्रस्तुत किए जाने पर), जो भी कम हो, का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। ऐसे अ. जा. और अ. ज. अभ्यर्थी जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं या जो साक्षात्कार में भाग लेने संबंधी यात्रा के लिए रेलवे से कोई रियायत ले चुके हैं, यदि कोई हो तो, उनके लिए यह यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं हैं।
k)	आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि विज्ञापन की अंतिम तिथि अर्थात 27/02/2026 होगी ।
l)	बीएआरसी किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की अभ्यर्थिता को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
m)	बीएआरसी आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई और नोटिस जारी किए या कोई कारण बताए बिना, भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
n)	विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तहत ही भरी जा सकेंगी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्यथा निर्णय लिए जाने पर, इन्हें नहीं भरा जा सकता है।
o)	विज्ञापन में निर्धारित किए गए पात्रता मानदंड और अनुभव की अवधि (यथा-लागू) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 27/02/2026 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
p)	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने सभी सूचनाएं सही भरी है। जो उम्मीदवार गलत सूचना भरते हैं उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । बीएआरसी के पास किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
q)	**आवेदन शुल्क और भुगतान पद्धति** -आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है।
	शुल्क की राशि -रु.500/- (पांच सौ रुपये मात्र)

	<u>भुगतान पद्धति -</u> • ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद जेनरेटेड आवेदन संख्या, आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक होगी और इसलिए आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान से पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है। परंतु, धयान रहे कि शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। • शुल्क का भुगतान करने के लिए, अभ्यर्थियों को 'My Account' के अंतर्गत 'Make Payment' विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। आवेदन जमा करते समय जेनरेटेड आवेदन संख्या को ड्रॉप-डाउन बॉक्स से चुना जा सकता है और 'submit' बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान संबंधी अगले पृष्ठ पर जाया जा सकता है। • "Job application" "How to pay App. fee" मेनू के तहत आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी मार्गदर्शन विस्तारपूर्वक दिया गया है। • एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकता है और किसी अन्य भर्ती हेतु इसे रिज़र्व में नहीं रखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27/02/2026 पर या उससे पहले आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।
	टिप्पणी-अ.जा/अ.ज.जा. के उम्मीदवारों, दिव्यांग व्यक्तियों और महिला अभ्यर्थियों को इस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
r)	भले ही किसी विशेष पद के लिए अ.जा./अ.जन.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न हो, फिर भी ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तथापि, वे किसी भी रियायत/छूट आदि के लिए पात्र नहीं होंगे। अ.जा./अ.जन.जा./पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को ऐसे मामले में भी आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
s)	केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को **स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार** के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त **'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (अ. प्र. प.)** प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा न करने पर, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
t)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रतिपूरक समय वर्तमान आदेश के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
u)	किसी छूट के मानकों के बिना स्वयं की योग्यता के आधार पर अन्य व्यक्तियों के साथ चयनित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों को अनारक्षित रिक्तियों के अधीन विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वह पद संबंधित श्रेणी (यथा-लागू) के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो।
v)	ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए जाने वाला आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पहले से ही नियमित आधार पर केंद्र सरकार के तहत सिविल साइड में रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए हकदार नहीं हैं।
w)	**<u>क्षेत्राधिकार</u>**: इस अधिसूचना से उत्पन्न कोई भी कानूनी विवाद केवल मुंबई क्षेत्राधिकार के अधीन होगा और किसी भी विवाद के स्थिति में ,बीएआरसी वेबसाइट पर रखे गए विस्तृत विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण का संदर्भ लिया जाएगा।
x)	उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में, शुद्धिपत्र यदि कोई जारी किए जाना हो तो उसे केवल बीएआरसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

6. <u>प्रमाणपत्रों की प्रतियां</u> :

साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ निम्नवत के समर्थन में प्रमाण पत्रों की साक्ष्यांकित एकल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए:

a.	शैक्षणिक योग्यताएँ, अनुभव (यथा-लागू) एवं तकनीकी योग्यताएँ (परीक्षा में लिए गए विषयों को दर्शाने वाले सही अंकपत्रों* द्वारा समर्थित)। (* सेमेस्टर/वर्ष-वार अंकपत्र और समेकित अंकपत्र)
b.	एकीकृत पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित व्यक्तिगत डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।
c.	जन्म तिथि /आयु का प्रमाण – केवल मैट्रिकुलेशन / सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही स्वीकार किया जाएगा, बाद में परिवर्तन के किसी अनुरोध की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
d.	अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ होना चाहिए और वह जाति/समुदाय संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया हो। (* अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार) (DR/08 पद के लिए लागू)
e.	वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण (यथा-लागू) ।
f.	दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक कश्मीर संभाग में अधिवासित होने का प्रमाण-पत्र
g.	शारीरिक निःशक्तता के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी से नवीनतम निःशक्तता प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक 2 और 3 में दिए गए प्रारूपों के अनुसार (केवल पोस्ट कोड No. DR/08 के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों हेतु लागू)

नोट:

i. यदि विश्वविद्यालय लेटर ग्रेड/सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए./एस.जी.पी.ए. प्रदान करते हैं तो उसे उस विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों के समकक्ष प्रतिशत के रूप में इंगित करना होगा। इनके अभाव में स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 27/02/2026 तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है/प्राप्त नहीं करेंगे, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>चेतावनी</u> : जो आवेदन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट/ साक्षात्कार के लिए नहीं चुने गए अभ्यर्थियों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा।

7. अभ्यर्थियों के लिए चेतावनी

a. यदि कोई व्यक्ति अवैध अनुतोषण के माध्यम से इस विभाग में चयन/नियुक्ति के आश्वासन के साथ आपसे संपर्क करता है, तो अभ्यर्थी को इस तरह के आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और ऐसे तत्वों को किसी भी तरह से स्वीकारना या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है और पुनःआश्वस्त किया जाता है कि चयन प्रक्रिया विशुद्ध रूप से केवल योग्यता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

b. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से हमारी वेबसाइट पर जाएँ। ध्यातव्य है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बीएआरसी का नाम/लोगो बनाकर धोखाधड़ी वाले भर्ती विज्ञापन और नौकरी के प्रस्ताव तथा नौकरी देने के झूठे वादों के माध्यम से धोखा देने की कोशिश किया जाना संभावित है। ये व्यक्ति नौकरी के प्रस्तावों के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी और भुगतान की मांग करते हैं। आवेदकों का ध्यान, कुछ ज़ालसाज व्यक्तियों द्वारा अवैध मोबाइल नंबरों/नकली ईमेलों/एस.एम.एस./सोशल प्लेटफॉर्मों/वाट्सऐप/फर्जी वेबसाइटों आदि पर लिंक के माध्यम से नौकरी चाहने वालों से संपर्क करने और बी.ए.आर.सी. में नौकरी के अवसर प्रदान करने और कुछ नकली तथा अवैध बैंक खातों में वापसी योग्य प्रतिभूति जमा या अन्य शुल्क के माध्यम से पैसे की मांग करने वालों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। बी.ए.आर.सी. किसी भी नौकरी की पेशकश के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप या तरीके से आवेदन शुल्क के अलावा कोई भुगतान नहीं मांगता है, चाहे वह वापसी योग्य हो या गैर-वापसी योग्य। यह सूचित किया जाता है कि बी.ए.आर.सी. में सभी रिक्तियों और भर्ती को बी.ए.आर.सी. वेबसाइट, इंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार और प्रमुख समाचार पत्रों में अधिसूचित किया जाता है। बी.ए.आर.सी. रिक्तियों के लिए आवेदन करने का लिंक बी.ए.आर.सी. की आधिकारिक वेबसाइट www.barc.gov.in/recruit.barc.gov.in पर उपलब्ध है न कि किसी अन्य वेबसाइट पर। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम जमा के समय केवल आवेदन शुल्क देय है और भर्ती के किसी भी चरण में किसी अन्य भुगतान की मांग नहीं की जाती है। इस सूचना से सभी संभावित नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और इस तरह के झूठे विज्ञापनों से गुमराह न हों। बी.ए.आर.सी. में भर्ती प्रक्रिया विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित है। नवीनतम जानकारी/अपडेट या इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट पर जाएँ। बी.ए.आर.सी. यह भी दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि संभावित नौकरी चाहने वालों को ऐसे अनुरोधों का जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि बी.ए.आर.सी. धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों या भर्ती एजेंसियों के साथ पत्राचार के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपको ऐसी कोई घटना या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, तो कृपया तुरंत उपयुक्त सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें।

8. इस विज्ञापन के लिए कोई भी अधिसूचना/शुद्धिकरण/विस्तार केवल बीएआरसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तदनुसार, उम्मीदवारों से नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करने का अनुरोध किया जाता है।

किसी भी प्रकार की अनुयाचना/सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।

यह विज्ञापन अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में प्रकाशित किया गया है।
किसी भी विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

<u>उम्मीदवारों के लिए चेक लिस्ट</u>

(आवेदन के साथ संलग्न किया जाए और साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाए)
लागू बॉक्स में 'X' लगाएं

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/अंक पत्रकों में से प्रत्येक की एक सत्यापित प्रति संलग्न है

1.	ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट	:
2.	जन्म तिथि / आयु का प्रमाण (प्रमाण पत्र)	:
3.	अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाती/अन्य पिछड़ा वर्ग(यदि लागू हो)	:
4.	अनापत्ति प्रमाण पत्र-एनओसी (यदि लागू हो)	:
5.	शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता (प्रमाण-पत्र और अंक पत्रक)	:
6.	अनुभव प्रमाणपत्र	:
7.	कोई अन्य संगत प्रमाण पत्र	:

हस्ताक्षर : _____

तिथि :_____ अभ्यर्थी का नाम: _____

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर ज़िलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस ज़िले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस ज़िले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कि फोटोग्राफ प्रमाण-पत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाण पत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..... पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*..... जिला/संभाग..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..... के .....जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 *
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची(परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 @
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 @
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 @%

2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*..... के माता/पिता श्री/श्रीमती..... निवासी ग्राम/कस्बा*..... जिला/संभाग*.....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* ..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ..... जाति/जनजाति से संबंधित है जो ..... दिनांक ..... द्वारा जारी ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*..... जिला/संभाग*..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..... में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान_____
दिनांक_____

जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी :- यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वहीं अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

** जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(i) ज़िला मजिस्ट्रट/अपर ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रे सीडेंसी/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविज़नल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

फार्म-V निःशक्तता प्रमाणपत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरी स्थाई पक्षाघात के मामले अथवा बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखिए]

(प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरा दिखता हो)

प्रमाणपत्र सं. _____ दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... जन्म की तारीख ..... आयु ..... वर्ष ..... पुरुष/महिला..... रजिस्ट्रेशन नं. ..... मकान नं..... वार्ड/गांव/गली..... डाकघर ..... ज़िला..... राज्य..... का स्थायी निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांचकर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि :

(ए) उनका मामला :

- गतिविषयक निःशक्तता
- बैनापन
- नेत्रहीनता का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर ठीक का निशान लगाएं)

(बी) उनके मामले में ..... निदान किया गया है ।

(सी) वे दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और जारी होने की तारीख निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार अपने ..... (शारीरिक अंग) के संबंध में .....% (अंक में) ..... % (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीडित है।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी होने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया है।

प्रपत्र – VII निःशक्तता प्रमाण पत्र

(फार्म V में उल्लिखित मामलों से अन्यथा)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता) (नियम 18(1) देखें)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं._____ दिनांक: _____

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष)..... आयु.....वर्ष, पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या ..... स्थायी निवास मकान नं. ..... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला..... राज्य..... के स्थायी निवासी है, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह ..... निशक्तता से ग्रस्त हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शा रीरिक दौर्बल्यता/निशक्तता के प्रतिशन की सीमा का मूल्यांकन किया गया है और निचे तालिका में उपयुक्त निशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्र.सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशियों में कमजोरी			
3.	उपचारित कुष्ठ रोग			
4.	प्रमश्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेज़ाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् और भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	चिरकालिक तांत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लोरोसिस			
16.	पार्किंसंस रोग			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू नहीं हैं)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है / गैर-प्रगामी है / इसमें सुधार होने की संभावना है / सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निशक्तता का पुनःमूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं हैं, अथवा

(ii) ..... वर्ष..... माह के पश्चात पुनःमूल्यांकन की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण-पत्र ..... (तारीख/माह/वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ - उदाहरणतः बायां/दायां/दोनों बाहें/टांगे

- उदाहरणतः एक आंख/दोनों आंख

€ - उदाहरणताः बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण-स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ की प्रकृति	प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)
प्रतिहस्ताक्षर
{यदि यह प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख्याद्वारा प्रतिहस्ताक्षर
किए जाने पर ही वैध होगा (मुहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके लिए निशक्तता प्रमाण-पत्रजारी किया गया है।

टिप्पणी: यदि यह प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा ।

---XXXX---